छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 729/2007</u>

1. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, - *अपीलार्थी*
रानीपारा, जांजगीर
जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 07 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा दिनांक 07.05.2007 को प्रति अपीलार्थी जिला शिक्षा अधिकारी से कुछ बिन्दुओं के संबंध में जानकारी चाही गई थी तथा दिनांक 10.07.2007 को पुनः स्मरण कराया गया और जानकारी नही दी जाने पर दिनांक 16.07.2007 को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के यहॉं प्रथम अपील की गई, उक्त अपील का निराकरण नही होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी ने यह बताया कि जानकारी देने का प्रयास किया गया था, किन्तु उनके द्वारा लेने से इंकार किया गया और बताया गया कि वे अपील कर चुके हैं और आयोग के समक्ष ही जानकारी प्राप्त करेंगे । तत्पश्चात् पंजीकृत डाक से भी जानकारी भेजी गई थी, किन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.01.2008 को जानकारी लेने से इंकार किया गया । अपीलार्थी का यह कहना है कि चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन जब पहले अस्वीकार किया गया है और उसी समय जानकारी चाही गई थी वह नही दी गई तथा अब यह जानकारी का कोई महत्व नही है । अपीलार्थी का यह तर्क सही प्रतीत नही होता है, क्योंकि भले ही जानकारी विलंब से दी जा रही है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए था, जहॉं तक नुकसान का प्रश्न है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में नियमों के अनुसार ही कार्य होता है और नियमों के विपरीत कोई कार्य हुआ है तो संचालक को अलग से आवेदन दे सकते थे । आयोग का कार्य केवल सूचना दिलवाने का है चूंकि जानकारी आयोग द्वारा समक्ष में प्रदाय करा दी गई है।

दिनांक 11-02-2008 को आवेदक ने एक आवेदन और दिया कि उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति होने के पूर्व ही जानकारी दी जाती तो उसके लिये उपयोगी होती। अतः दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जावे। किन्तु अब इस स्टेज पर इस संबंध में अन्य कोई कार्रवाई संभव नहीं है। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने जुलाई में कार्यभार ग्रहण किया है और दिनांक 06.08.2007 को आवेदक को सूचना दी गई है कि जानकारी तैयार है, अतः वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी को इस विलंब के संबंध में त्रुटि होना प्रतीत नही होता है, अतः शास्ति के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, क्योंकि इस संबंध में जानकारी नही देने के बारे में कोई दुर्भावना नही थी और अपीलार्थी द्वारा भी जानकारी लेने से इंकार किया गया था । किन्तु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विलम्ब किया गया है। अतः अधिनियम की धारा-20(2) के अंतर्गत संचालक, लोक शिक्षण को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही जो विलंब हुआ उसके कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त